

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक संख्या-35/2026/1/1292523/2026/11-4099/70/2025 दिनांक 08.04.2026 द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में योजना हेतु रू० 24-00 करोड को बजट प्राविधान किया गया है। उक्त के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये है। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-उ०प्र०पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक / व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	प्रयागराज	स्व० श्री लक्ष्मी नारायण	सर्वश्री मॉ लक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट, प्रयागराज	03-02-2026	07-05-2026	श्रीमती सुशीला देवी, पत्नी	10.00 लाख
2	लखनऊ	स्व० श्री अनुज वर्मा	सर्वश्री एस०पी० इंजीनियरिंग, लखनऊ	11-12-2025	29-04-2026	श्रीमती तृप्ति वर्मा, पत्नी	10.00 लाख
3	लखनऊ	स्व० श्री धर्मेन्द्र चौरसिया	सर्वश्री अनाया मेडिकेयर, लखनऊ	12-12-2025	29-04-2026	श्रीमती साधना चौरसिया, पत्नी	10.00 लाख
4	बरेली	स्व० श्री अनुज पाल	सर्वश्री ए०के०इण्टरप्राइजेज, शाहजहाँपुर	15-11-2025	14-03-2026	श्री ऋषिकेश पाल, पिता	10.00 लाख
5	बरेली	स्व० श्री रजत गुप्ता	सर्वश्री सरस्वती बुक डिपो, बंदायु	13-12-2026	04-05-2026	श्रीमती पिकी गुप्ता, पत्नी	10.00 लाख


(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, प्रयागराज, लखनऊ-प्रथम/द्वितीय एवं बरेली को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, प्रयागराज-ए, लखनऊ-सी/बी, बरेली-ए को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।


अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।